रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR

भारत सरकार : रेल मंत्रालय

Govt. of India (Ministry of Railways)

Website: www.rrbbilaspur.gov.in	E-mail: rrbbsp@gmail.com	Phone: 07752-247291	Fax: 07752-417742

आरआरबी/ बीएसपी/ 02-2018/ लेवल-1/ दिनांक: 23.12.2019

केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना संख्या 02/ 2018 (स्तर -1 के पद)

बहुविकलांगता (MD) श्रेणी के विकलांग उम्मीदवारों के लिए सूचना

कुछ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जो वास्तव में संशोधित पीडब्ल्यूबीडी अधिनियम और अधिसूचित पदों के मामले में एकाधिक विकलांगता (एमडी) वाले हैं, वे पूर्ववर्ती तीन विकलांगता श्रेणियों अर्थात लोकोमोटर विकलांगता (एलडी), (पहले अस्थि विकलांग (ओएच)), नेत्रहीन (वीआई) या बधिर (एचआई) में से कोई एक ही भर सकते थे। उक्त संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एमडी श्रेणी के तहत विचार के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना संख्या 02/2018 के लिए दिनांक 28.02.2018 को अधिसूचित शुद्धिपत्र के आधार पर एलडी , वीआई और एचआई की तीनों श्रेणियों में से एकाधिक विकलांगता को भरना/ चुनना चाहिए।

केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना संख्या 02/2018 के लिए दिनांक 28.02.2018 को अधिसूचित शुद्धिपत्र, ऐसी प्रथम भर्ती अधिसूचना थी, जो संशोधित पीडब्ल्यूबीडी अधिनियम (आरपीडब्ल्यूबीडी अधिनियम, 2016) के संदर्भ में एमडी श्रेणी आरक्षण को शामिल किया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रभावित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को ठीक से नहीं भरने के कारण एमडी के रूप में नहीं माना गया है , किसी भी मामले में एलडी, वीआई या एचआई की अन्य तीन विकलांगता श्रेणियों में से एक के तहत पात्रता और योग्यता के अनुसार माना गया है।

मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अब एक विशेष व्यवस्था के रूप में तय किया गया है कि सीबीटी में न्यूनतम अर्हता अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवार, जो वास्तव में विकलांगता की एमडी श्रेणी से संबंधित हैं , किंतु सीईएन 02/2018 के अंतर्गत अनजाने में केवल एलडी, एचआई एवं वीआई में से केवल एक विकलांगता भरे हैं, वे उपर्युक्त संदर्भित शुद्धिपत्र अधिसूचना के अनुसार, उपयुक्त पदों की उपलब्धता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन उस रेलवे के नहीं भरे गए एमडी रिक्तियों के तहत विचार करने के लिए पात्र होंगे।

तदनुसार, वे सभी उम्मीदवार जो एमडी श्रेणी के तहत विकलांगता के मानदंड को पूर्ण करते हैं (अर्थात , एलडी, वीआई एवं एचआई विकलांगता में से एक से अधिक में निर्धारित बेंचमार्क) तथा जिन्होंने सीबीटी लिखित परीक्षा में छूट प्राप्त न्यूनतम योग्यता 'कट-ऑफ' स्कोर (जो अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 38 है और आरक्षित समुदाय के लिए 28 है) से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन संलग्न प्रारूप में अपने आवेदन का विवरण एवं अपने एमडी श्रेणी की

स्थिति के प्रमाण संलग्न करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। बहु विकलांगता का प्रमाण, दिनांक 28.02.2018 को अधिसूचित सीईएन 02/2018 के शुद्धिपत्र में एमडी श्रेणियों के लिए संलग्नित प्रपत्र- VI को विधिवत भरकर अथवा एलडी, एचआई एवं वीआई विकलांगता श्रेणियों में से एकाधिक अधिक बेंचमार्क विकलांगता को प्रमाणित करने वाले अलग-अलग वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उपर्युक्त बहु विकलांगता के प्रमाण के साथ यह अभ्यावेदन उम्मीदवार द्वारा चयनित रेलवे के अध्यक्ष/ आरआरसी को इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। यह अभ्यावेदन या तो आरआरसी/ एसईसीआर/ बिलासपुर के ई-मेल आईडी cmrrcsecr@gmail.com पर स्कैन किया वैध पीडीएफ अपलोड करके या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय, कार्मिक विभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आरटीएस कॉलोनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495004 पर स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर पोस्ट करके किया जा सकता है। यह केवल मूल आवेदन के समय चुने गए रेलवे के आरआरसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ; रेलवे के विकल्प में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा। अपूर्ण/ गलत तरीके से संबोधित/ अवैध अभ्यावेदन को सरसरी तौर पर खारिज़ कर दिया जाएगा। अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करने एवं विवरणों के सत्यापन के अधीन तथा रेलवे के उपयुक्त नहीं भरे गए एमडी रिक्तियों के अंतर्गत मेटिर के अनुसार चयन करने हेतु ऐसे एमडी उम्मीदवारों के अभ्यावेदनों पर विचार किया जा सकता है, जो छूट प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंक 38 (अनारक्षित के लिए) एवं 28 (आरक्षित समुदाय के लिए) के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

कृपया यह ध्यान दें कि जो लोग आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम , 2016 में निर्दिष्ट के अनुसार बहु विकलांगता मानदंड को पूर्ण नहीं करते हैं या जो संलग्न अनुलग्नक के रूप में उसका प्रमाण संलग्न नहीं करते हैं , उन्हें आवेदन/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अ तिरिक्त, जिन लोगों ने लिखित सीबीटी में 38 (अनारक्षित के लिए) या 28 (आरक्षित समुदाय के लिए) का छूट प्राप्त न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं किया है , उन्हें आवेदन/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अयोग्य उम्मीदवारों के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो पात्र हैं , उन्हें केवल आवेदन पत्र में मूल रूप से चुने गए रेलवे से संबंधित आरआरसी में आवेदन करना चाहिए।

इस अधिसूचना का प्रकाशन या इसके आधार पर किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करना किसी भी आवेदक को नियुक्ति का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। मामले से संबंधित सभी अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित है।

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

Annexure-'A'

FORMAT OF REPRESENTATION

S.No.	Name of Applicant	Postal address, mobile No. and Email id.	Registra tion No.	Roll No.	Score obtained in CBT.	Zonal Railway already opted.	Nature of Multiple Disability (any one only to be ticked)				Document enclosed as proof of Disability (Certificate No., date and issuing authority	Any other remarks
							LD+VI	LD+HI	VI+HI	LD+VI +HI		

Declaration:

I declare that particulars submitted above are correct and true and that no material information has been concealed. I also understand that merely submitting this representation in no way entitles me for selection /recruitment against MD quota, which is subject to merit position, availability of suitable posts, number of unfilled vacancies and other eligibility conditions.

Signature of Applicant

Date:
Place: